

ग्रीन कार्ड: क्या साथ लाएँ।

जैसे-जैसे आगे बढ़ें, चीजों पर निशान लगाते जाएँ (हम इस डिवाइस पर उन्हें याद रखेंगे)। ज़रूरतें बदलती रहती हैं, इसलिए कुछ भी फ़ाइल करने से पहले हम मौजूदा आधिकारिक लिस्ट जाँचते हैं।

पहचान

- ☐ पासपोर्ट
- ☐ बर्थ सर्टिफ़िकेट (ज़रूरत हो तो अंग्रेज़ी अनुवाद के साथ)
- ☐ I-94 एंट्री रिकॉर्ड
- ☐ दो पासपोर्ट-साइज़ फ़ोटो

इमिग्रेशन इतिहास

- ☐ वीज़ा और पहले के सभी इमिग्रेशन दस्तावेज़
- ☐ मंज़ूर पिटीशन का नोटिस (I-797), अगर आपके पास है
- ☐ मैरिज सर्टिफ़िकेट और तलाक की डिक्री, अगर हों

स्पॉन्सर (फ़ैमिली केस)

- ☐ स्पॉन्सर की अमेरिकी नागरिकता या ग्रीन कार्ड का सबूत
- ☐ स्पॉन्सर का सबसे हाल का फ़ेडरल टैक्स रिटर्न (या IRS ट्रांसक्रिप्ट), सभी W-2, 1099 और शेड्यूल के साथ
- ☐ मौजूदा आय का सबूत (पे स्टब या नौकरी का पत्र)
- ☐ आय तय गाइडलाइन से कम हो तो जॉइंट स्पॉन्सर या घर का सदस्य (फ़ॉर्म I-864A)

मेडिकल

- ☐ USCIS सिविल सर्जन से सीलबंद मेडिकल जाँच के नतीजे (फ़ॉर्म I-693), जो I-485 के साथ ही फ़ाइल किए जाते हैं

रिन्यूअल या रिप्लेसमेंट

- ☐ आपका मौजूदा या एक्सपायर्ड ग्रीन कार्ड (या चोरी होने पर पुलिस रिपोर्ट)
- ☐ फ़ोटो ID

आधिकारिक स्रोत

USCIS: फ़ॉर्म I-485 (<https://www.uscis.gov/i-485>)

USCIS: फॉर्म I-90 (<https://www.uscis.gov/i-90>)

USCIS फ़ीस कैलकुलेटर (<https://www.uscis.gov/feecalculator>)

यह सिर्फ़ सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। ज़रूरतें बदलती रहती हैं; अपने केस की मौजूदा लिस्ट की पुष्टि के लिए 463-301-9000 पर कॉल या टेक्स्ट करें।

Gosal Immigration कोई लॉ फ़र्म नहीं है। हम इंडियाना में वकालत करने के लिए लाइसेंस प्राप्त वकील (अटॉर्नी) नहीं हैं, और हम कानूनी सलाह नहीं दे सकते, न ही कानूनी सलाह के लिए फ़ीस ले सकते हैं। हमारा USCIS, अमेरिकी विदेश विभाग, भारत सरकार या किसी भी सरकारी एजेंसी से कोई संबंध नहीं है।

नोटरी सूचना: मैं इंडियाना में वकालत करने के लिए लाइसेंस प्राप्त वकील नहीं हूँ। मुझे कानूनी दस्तावेज़ तैयार करने, इमिग्रेशन सहित कानूनी मामलों पर सलाह देने, या इन कामों के लिए फ़ीस लेने की अनुमति नहीं है।

Notary notice (IC 33-42-13-3): I am not an attorney licensed to practice law in Indiana. I am not allowed to draft legal records, give advice on legal matters, including immigration, or charge a fee for those activities.

